न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2566–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–7–2012 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस डबरा जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 2/11–12/ बी–103.

देवेन्द्र सिंह पुत्र बल्देव सिंह जाट ठाकुर
निवासी ग्राम बडेरा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1 म0 प्र0 शासन
2 अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
डबरा जिला ग्वालियर
3 बैजनाथ पुत्र श्री जगराम जाति सेन
निवासी ग्राम खेडी नटवा तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 एवं 2

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 13 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 6–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 3 बैजनाथ द्वारा उप पंजीयक के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपने

स्वामित्व की भूमि ग्राम खेड़ी नटवा स्थित सर्वे कमांक 9 रकबा 1 32 हेक्टेयर का विक्रय अनुबंध पत्र आवेदक देवेन्द्र सिंह से रूपये 1,10,25,000/–रूपये में किया गया था । उनके द्वारा आज विक्रय पत्र पंजीकृत कराने हेतु कहा गया था, इसलिये मैं आज उपस्थित हुआ हूँ, परन्तु आवेदक देवेन्द्र सिंह नहीं आया है अतः उसकी उपस्थिति दर्ज की जाये । आवेदन पत्र के संलग्न विक्रय अनुबंध पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई । उप पंजीयक द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, डबरा को प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प डबरा द्वारा प्रकरण कमांक 2/बी–103/11–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 6–7–2012 को आदेश पारित कर रूपये 1,10,250/–मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करते हुये रूपये 3,30,750/– की शास्ति भी अधिरोपित की गई। इस प्रकार कुल रूपये 4,40,900/– आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 द्वारा समान समान 2,20450/– रूपये जमा कराने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प डबरा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की शक्तियां प्राप्त नहीं थी, इसलियें अनुविभागीय अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, क्योंकि जिस तहसील में उप पंजीयक पदस्थ होता है वह अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की शक्तियां नहीं रहती है । यह भी कहा गया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है और इस प्रकरण में मूल प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन विक्रय अनुबंध पत्र कब्जा रहित है और जब कब्जा दिया जाता है तब ही एक प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय होता है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के विरूद्ध सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन अनुबंध पत्र आवेदक एवं अनावेदक कमांक 4 के मध्य 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित हुआ है । उक्त विकय अनुबंध पत्र अनावेदक कमांक 4 द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि रूपये 1,10,25,000/– में आवेदक को विकय करने के संबंध में निष्पादित हुआ है और अनुबंध पत्र कब्जा रहित है । अधिनियम के अनुसूची 1 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत कब्जा रहित अनुबंध पत्र पर 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकय मूल्य का एक प्रतिशत रूपये 1,10,250 मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और चूँकि आवेदक द्वारा 100 रूपये के मुद्रांक शुल्क पर विकय अनुबंध पत्र निष्पादित कराया गया है, इसलिये शासन को हानि हुई है अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मुद्रांक शुल्क की 3 गुना शास्ति रूपये 3,30,750/– अधिरोपित करने में भी उचित कार्यवाही की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की शक्ति प्राप्त नहीं थी क्योंकि इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विधि के प्रावधानों की विवेचना करते हुये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अधिनियम की धारा 2 (9) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की शक्तियां प्राप्त है तथा इस संबंध में शासन द्वारा भी अधिसूचना जारी कर अनुविभागीय अधिकारी को शक्तियां प्रदान की गई है। उनका यह तर्क भी उचित नहीं है कि जिस तहसील में उप पंजीयक पदस्त होता है वहां कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की शक्तियां अनुविभागीय अधिकारी को नहीं रहती है क्योंकि सब रजिस्टार का पद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के पद से कनिष्ट पद है और उप पंजीयक को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प की शक्तिया नहीं हैं । उनका यह तर्क भी विधि के प्रावधानों के विपरीत है कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत होने पर ही कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा मुद्रांक शुल्क अधिरोपित किया जा सकता है । कारण अधिनियम की धारा 48 ख में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के ध्यान में कोई लिखित की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी ध्यान में आती है

वहां कलेक्टर मूल प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा उस व्यक्ति से करेगा, जिसके पास मूल लिखित है और यदि मूल लिखित प्रस्तुत नहीं की जाती है तो यह माना जायेगा कि लिखित पर्याप्त रूप से स्टापित नहीं है । इस प्रकरण में आवेदक का दायित्व था कि मूल विक्रय अनुबंध पत्र कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत करते । जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि कब्जा रहित अनुबंध पत्र पर एक प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय है । अतः इस संबंध में भी आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि जब किसी संपत्ति का कब्जा दिया जाता है तब एक प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय होता है। दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–7–2012 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर